

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-31/2019/

दिनांक:-

अधीक्षक,

हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय,

जयपुर


विषय:- चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती सीमा कुमावत, नर्स-2 का चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत करने के सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक प. 1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 10.9.2018 में बिन्दू संख्या 3 में राजस्थान सेवा नियम 1951 बॉल्यूम-II के परिशिष्ट 9 में 120 दिवस तक का अवकाश स्वीकृत करने के लिये कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है।

अतः महिला कर्मचारी को 120 दिवस तक का चाईल्ड केयर लिव सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। यदि नियम 103, सी (II)के अन्तर्गत चाईल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश अवधि 120 दिवस से अधिक होने के कारण ऐसा अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जावेगा "

अतः आप 120 दिवस से कम अवधि का अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं एवं प्राप्त प्रस्ताव आपको स्वीकृति हेतु भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर


दिनांक:- 16/5/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-31/2019/691

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।

2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर